नवप्रीत कौर संधू **बनाम** नवजोत सिंह आदि

अन्तर्गत धारा 212 आरटीए नम्बर 43 सन् 2024

जी.सी.एम.एस. नम्बर 2024/133

तामिल हुकम	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
27.01.2025	अधिवक्तागण उपस्थित। बहस उभयपक्ष अधिवक्तागण सुनी गई। उभयपक्ष अधिवक्तागण के द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीए पर की गई बहस पर मनन किया गया व पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थिया अधिवक्ता के द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीए में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए राजस्व ग्राम 41 एफ ए. पटवार हल्का 43 जीजी खरलां, भू.अ.नि.क्षेत्र खरलां, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबन्दी सम्वत 2074 ता 77 के खाता संख्या 30/30 के मुरब्बा नम्बर 9, 43/12, 43/13 की कुल 6.023 हेक्टैयर भूमि व खाता संख्या 62/09 के मुरब्बा नम्बर 12 की कुल 2.859 हेक्टैयर भूमि, खाता संख्या 42/42 के मुरब्बा नम्बर 26, 35 की कुल 0.910 हैक्टेयर भूमि की मूलवाद के निर्णय तक मौका व राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाए रखे जाने बाबत निवेदन किया गया। अप्रार्थी अधिवक्ता के द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि वादगत भूमि अप्रार्थी संख्या 1 ता 3 की स्वय अर्जित सम्पति है। जिसमें से प्रार्थिया कोई हक व हिस्सा प्राप्त करने की अधिकारी नहीं है। प्रार्थिया का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीए मय खर्चा खारिज फरमाया जावे। लिहाजा राजस्व ग्राम 41 एफ ए. पटवार हल्का 43 जीजी खरलां, भू.अ.नि.क्षेत्र खरलां, तहसील श्रीकरणपुर की जमावन्दी सम्वत 2074 ता 77 के खाता संख्या 30/30 के मुरब्बा नम्बर 9, 43/12, 43/13 की कुल 6.023 हेक्टैयर भूमि अप्रार्थी संख्या 1 नवजोत सिंह के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। अप्रार्थी संख्या 1 नवजोत सिंह व प्रार्थिया नवप्रीत कौर संधू पति–पत्नी है और पति–पत्नी को एक यूनिट माना जाता है। इसलिए हस्तगत प्रकरण में अस्थायी निषेधाज्ञा नहीं दी जाती है, तो प्रार्थिया को अपूरणीय क्षति कारित होगी। अतः हस्तगत प्रकरण के तीनों बिन्दू यथा प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एंव अपूरणीय क्षति प्रार्थिया के पक्ष में बनना प्रतीत होते है। प्रार्थिया/वादिया प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 बाबत अस्थाई व्यादेश भली–भांति साबित होने से आशिंक स्वीकार किया जाकर अस्थायी व्यादेश वहक प्रार्थिया विरूद्व अप्रार्थीगण इस आशय का पारित किया जाता है कि वे राजस्व ग्राम 41 एफ ए. पटवार हल्का 43 जीजी खरलां, भू.अ.नि.क्षेत्र खरलां, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबन्दी सम्वत 2074 ता 77 के खाता संख्या 30/30 के मुरब्बा नम्बर 9, 43/12, 43/13 की कुल 6.023 हेक्टैयर भूमि की ताफैसला वाद मौका व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाए रखे। पत्रावली इस कदर फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर मूलवाद के साथ संलग्न हो।	

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर